

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1772 / वार-8-14 / 67 भाग-दो-बी जबलपुर, दिनांक 13 / 05 / 2020

श्रीमती हीराबाई, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का असामयिक निधन दिनांक 15.05.2020 को शासकीय सेवा में रहते हुए हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के झापन क्रमांक एफ-9-11 / 2013 / निप्रम / 4 दिनांक 24.12.2013 में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रीमती राधाबाई, पुत्री स्व. श्रीमती हीराबाई, कोर्ट अटेंडेंट को रूपए 50,000 / - (रूपए पचास हजार मात्र) एकमुश्त अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

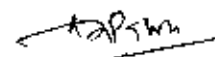
पृष्ठांकन क्रमांक B/1772 / वार-8-14 / 67 भाग-दो-बी जबलपुर, दिनांक 13 / 05 / 2020

प्रतिलिपि -

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेखा/बजट एवं सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. श्रीमती राधाबाई, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर पुत्री स्व. श्रीमती हीराबाई, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2020 के संदर्भ में प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वे अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति इस रजिस्ट्री में प्रस्तुत करें।


(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम.)